न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।

सत्र परीक्षण संख्या–105 सन् 2024

आई0ए0–01/2025

राज्य.....बनाम.....रमेश तिवारी।

अपराध संख्या–186 सन् 2006

धारा–323, 325, 452, 504, 506, 308 भा0 दं0 सं0

थाना–सुरियावां, जिला–भदोही।

<u>25.03.2025</u>

वाद पुकारा गया। प्रार्थी/अभियुक्त रमेश तिवारी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी मुकदमा के भी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

51 ख प्रार्थनापत्र, समर्थित शपथपत्र 52 ख, मय कागज संख्या–54 ख/1–16, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–2019 सन् 2024 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित–19.02.2025 की प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सम्मनिंग आदेश दिनांकित–26.02.2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–2019 सन् 2024 रमेश तिवारी बनाम राज्य उ0प्र0 प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित–19.02.2025 द्वारा उक्त सम्मनिंग आदेश दिनांकित–26.02.2024 निरस्त कर दिया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–19.02.2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समुचित आदेश पारित करते हुए मुकदमा की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गयी।

पक्षकारों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–155 सन् 2018, रमेश तिवारी बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांकित–26.02.2024 के माध्यम से इसी न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त रमेश तिवारी को अपराध अन्तर्गत धारा–323, 325, 452, 504, 506 एवं 308 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु अन्तर्गत धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आहूत किया गया था। उक्त आदेश दिनांकित–26.02.2024 के विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त रमेश तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–2019 सन 2024 संस्थित की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–2019 सन् 2024 अपने आदेश दिनांकित–19.02.2025 द्वारा स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–155 सन् 2018 के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त रमेश तिवारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के अधीन विचारण हेतु आहुत किये जाने संबंधी आदेश दिनांकित–26.02.2024 को अपास्त कर दिया गया है। चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त को

आदेश दिनांकित–26.02.204 के अधीन विचारण हेतु आहूत किये जाने के आधार पर ही विचारण किया जा रहा था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त/निरस्त कर दिया गया है। इसलिए प्रस्तुत आपराधिक कार्यवाही को संचालित किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त 51 ख, स्वीकार किया जाता है और प्रस्तुत मामले की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल संग्रहशाला हो।

सत्र न्यायाधीश
भदोही।

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2025.03.25 17:05:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court